



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1200]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939

No. 1200]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

आय कर

का.आ. 1360(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2) के उपवाक्य (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा “श्री राम एवं रामदास स्वामी समाधी मंदिर एवं रामदास स्वामी मठ, सज्जनगढ़, जिला-सतारा, महाराष्ट्र”, को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए पूरे महाराष्ट्र राज्य का ऐतिहासिक महत्व का एवं सार्वजनिक पूजा स्थान घोषित करती है।

[अधिसूचना सं. 34 /2017, फा. सं.176/03/2016-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, उपसचिव